

फर्द अहकाम

(नियम 26)

## न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

श्रीमतीमगु बाई पत्नि श्री लुम्बाजी

लोक सूचना अधिकारी

जाति कलबी

तहसीलदार

निवासी नई भावरी

पिण्डवाडा

तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 32 वर्ष 2019

दिनांक हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुवम की तामिल में जारी हुए
23.09.2019	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 14.6.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि मौजा भांवरी के खसरा नम्बर 748 रकबा 2.05 बीघा कृषि भूमि को लेकर दिनांक 4.1.2019 को कब्जा हटाने का आदेश से संबंधित संपूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है ।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 14.6.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि मौजा भांवरी के खसरा नम्बर 748 रकबा 2.05 बीघा कृषि भूमि को लेकर दिनांक 4.1.2019 को कब्जा हटाने का आदेश से संबंधित संपूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई गई है । अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत को चाही गई समस्त सूचना तत्काल उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें । पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।</p>	

(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी)  
जिला कलक्टर, सिरौही